

प्रीठासीन अधिकारी (आतारक्त जिला कलक्टर) बांसवाडा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी - नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाडा

प्रकरण संख्या : 53/2021

रजिस्ट्रेशन नं. :2021/67

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम
बांसवाडा
उपस्थित :-

अभियुक्त :-

श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री नाथुलालजी पटेल
मैसर्स- राजस्थान दुध डेयरी, मैन रोड खान्दु
कालोनी, बांसवाडा

श्री प्रवीण कुमार

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 20.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 16-11-2021 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 16-08-2021 को 12.15 पी.एम. बजे बाहेंसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स राजस्थान दुध डेयरी, मैन रोड खान्दु कालोनी, बांसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री नाथुलालजी पटेल उपस्थित थे। निरीक्षण करने पर विक्रेता की दुकान फ्रिजर में 1 केन में करीब 60-65 लीटर मिक्स दुध आम जनता को विक्रय हेतु पाया गया। इसमें सब स्टेण्डर्ड, अनरोफ का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए एक केन में आम जनता को बिक्री हेतु रखे मिक्स दुध मे से 2 लीटर दुध वास्ते नमुना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 90 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तरदीक की। नमुना जाँच हेतु खरीदशुदा 2 लीटर मिक्स दुध को चार साफ, सुखी व खाली शीशी में बराबर-बराबर (प्रत्येक मे करिब 500 ग्राम) भरकर फार्मेलीन की 40 बूंद प्रत्येक में डालकर बोतल का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द किया। उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जाँच हेतु डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाडा तथा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाडा को जगा करवाया।



न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)




अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/218-219 दिनांक 21.09.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 121 दिनांक 19.08.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मिक्स दुध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबरस्टैण्डर्ड होना पाये जाने से विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 22.11.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 20.12.2021 को अभियुक्त श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री नाथुलालजी पटेल ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/218-219 दिनांक 21.09.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 121 दिनांक 19.08.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया मिक्स दुध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबरस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबरस्टैण्डर्ड किया गया मिक्स दुध विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन किया है आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री नाथुलालजी पटेल मैसर्स- राजस्थान दुध डेयरी, मैन




न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति. नि. नि. कलक्टर)
बॉसवाडा (राज.)

रोड़ खान्दु कालोनी, बांसवाडा को रूपये 15000/- (अक्षरे रु. पन्द्रह हजार रुपया मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।




(नरेश बनकर)
न्याय निर्णय अधिकारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर)
(बांसवाडा (राज.))
बांसवाडा